



2026: AHC: 27704-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **322/2026**

फिरोज़ अहमदयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मीनाक्षी सिंह (ए.सी.एस.सी.), अजय प्रकाश पॉल, बख्तियार यूसुफ, रूफैद इम्तियाज, अर्श अहमद फारुकी

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, याचिकाकर्ता द्वारा आराजी संख्या 379, स्थित मौजा-गोविंदपुर, असदुल्लापुर, तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए दायर की गई है, जो खलिहान (सार्वजनिक उपयोगिता भूमि) के रूप में दर्ज है।
2. प्रतिवादी संख्या 5-प्रयागराज विकास प्राधिकरण और निजी प्रतिवादियों संख्या 6 और 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने एकमत होकर प्रस्तुत किया कि जनहित याचिका की प्रकृति में वर्तमान याचिका दायर करना रिट अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के बीच व्यक्तिगत विवाद है। जहाँ प्रतिवादी संख्या 6 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, वहीं याचिकाकर्ता ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गर्वी, इलाहाबाद के समक्ष एक वाद दायर किया है, जो विचाराधीन है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि लंबित प्राथमिकी और वाद दायर करने से संबंधित उक्त पहलू का खुलासा याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें नहीं किया गया था।
4. इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और साफ हाथों से इस न्यायालय के समक्ष नहीं आया है, याचिका को 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।
5. उक्त राशि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय की विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद में जमा की जाएगी। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट (परीक्षण न्यायालय) में लंबित वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति इस न्यायालय से 10,000/- रुपये की रसीद प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।
6. इस आदेश की एक प्रति सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गवर्नी, इलाहाबाद के न्यायालय को वाद संख्या 1123 वर्ष 2025 (फिरोज़ अहमद एवं अन्य बनाम सैनुल आलम एवं अन्य) में रखने के लिए भेजी जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 9, 2026

आर.के./ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"